

“प्रस्तुत-एक”
(नियम 3 देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन

प्रति,
सचिव,
जिला नियमितिकरण अधिकारी

मैं, एतद्वारा, मेरे द्वारा किए गये/मेरे अधिकास के/मेरे स्वामित्व के, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के अधीन, यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ, मैं, अनधिकृत विकास के पंजीकृत वास्तुविद/इंजीनियर/प्लानर द्वारा तैयार मानचित्र, रेखाचित्र तथा फोटोग्राफ्स के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूँ।

1. अवोदक का नाम
2. स्वामित्व संबंधी हक (स्व-प्रमाणित)
3. भूमि का विवरण, राजस्व ग्राम (मोहल्ला)
4. भवन के चारों दिशाओं से लिये गए फोटोग्राफ 4 प्रतियों में
5. क्या यह अनधिकृत विकास, अभिन्यास योजना/भवन योजना में सम्मिलित है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है
यदि हां तो उल्लेख करें
 - (1) स्वीकृति आदेश क्रमांक
 - (2) स्वीकृति दिनांक
6. क्या अनधिकृत विकास, बिना अनुमोदन के निर्मित है या अनुक्रमांक 5 में ऊपर उल्लिखित मंजूरी के विपरीत है।

स. क्र.	नियमितिकरण के विषय	स्वीकृत अनुज्ञा अनुसार (कुल क्षेत्रफल)	बिना स्वीकृत विकास
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खुला स्थान		
2.	क्षेत्रफल अनुपात		
3.	भूमि-उपयोग में परिवर्तन		

7. रेनवाटर हार्डिंग/सौर ऊर्जा के प्राक्तनों को सुनिश्चित किये जाने का विवरण
8. पार्किंग/आमोद-प्रमोद क्षेत्र या स्वच्छता सुविधा या अग्नि सुरक्षा मानकों
के उल्लंघन का विवरण

तारीख

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम एवं पता)

घोषणापत्र

मैं/हम, एतदद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम आपके द्वारा इस संबंध में अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करूँगा/करेंगे।

तारीख

स्थान

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम,
2002 संशोधन 2016 के तहत नियमितिकरण करने हेतु आवेदन
के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज

★ स्वामित्व संबंधी हक दस्तावेज (स्व प्रमाणित)

- (1) रजिस्ट्री
- (2) खसरा नक्शा, बी-1, पी-2,
- (3) भूमि व्यपर्वतन की प्रति (यदि हो तो)

★ भूमि का विवरण

- (1) नजरी नक्शा या (लोकेशन प्लान)
- (2) भवन मानचित्र (बिल्डिंग प्लान) 05 प्रतियाँ
- (3) निर्मित भवन का फोटोग्राफ़ 04 (अलग-अलग दिशाओं से)
- (4) रेन वाटर हार्डेस्टिंग/सौर ऊर्जा संबंधित जानकारी
- (5) पूर्व स्वीकृत भवन हो तो प्रति एवं मानचित्र